नव भारत
| संस्थापक : स्व. रामगोपाल माहेश्वरी | प्रेरणा स्त्रोत : स्व. प्रफुल्ल माहेश्वरी |

पूरे देश में रोशनी बिखेरता इंदौर

मध्य प्रदेश का इंदौर शहर एक बार फिर देश का सबसे स्वच्छ शहर बनकर उभरा है. यह लगातार आठवीं बार है जब इंदौर ने 'स्वच्छ सर्वेक्षण' में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जो इसकी असाधारण प्रतिबद्धता और नागरिक सहभागिता का प्रमाण है. 'सुपर स्वच्छ लीग' में सर्वाधिक अंक प्राप्त करना इस बात का सूचक है कि इंदौर ने स्वच्छता को एक जन आंदोलन बना दिया है, जिसे अब पूरे देश के लिए एक मॉडल के रूप में देखा जा रहा है. इस बार का पुरस्कार समारोह भी दिल्ली में हुआ, जहां इंदौर नगर निगम और प्रशासन की टीम ने यह गौरव प्राप्त किया. स्थानीय शासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्यमित्र भार्गव और नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने राष्ट्रपति के हाथों यह सम्मान ग्रहण किया. यह न केवल इंदौर के लिए बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के लिए गर्व का क्षण है.

यह उपलब्धि प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व को भी दर्शाती है. प्रदेश सरकार के स्थानीय शासन मंत्रालय को मजबूत करने और स्वच्छता अभियान को प्राथमिकता देने से ही ऐसे परिणाम संभव हो पाए हैं. इंदौर की सफलता बताती है कि जब सरकार, प्रशासन और नागरिक एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है. मध्य प्रदेश के अन्य शहर जैसे उज्जैन, भोपाल, जबलपुर, बुधनी और ग्वालियर को भी विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार मिलना इस बात का प्रमाण है कि इंदौर द्वारा स्थापित स्वच्छता के प्रतिमानों का सकारात्मक प्रभाव पूरे प्रदेश पर पड़ रहा है. बहरहाल, भविष्य में, इंदौर के लिए चुनौतियाँ बढ़ने वाली हैं.

'सुपर लीग' में शामिल होने के कारण, इंदौर को अब न केवल पूर्व की भांति अपनी स्वच्छता बनाए रखनी होगी, बल्कि उसे एक अन्य 'बी' श्रेणी के शहर को भी स्वच्छता में आगे लाने की जिम्मेदारी दी जाएगी. अगले सर्वेक्षण में इस दूसरे शहर को मिलने वाले अंक भी इंदौर के खाते में जुड़ेंगे. यह एक कठिन चुनौती है, लेकिन इंदौर के अधिकारी इसके लिए तैयार हैं. इंदौर ने पहले भी कई शहरों को स्वच्छता व्यवस्था में सहयोग और सुझाव दिए हैं, और बदले हुए नियमों के तहत अब इस पहल को औपचारिक मान्यता मिल जाएगी. यह एक बेहतरीन कदम है जो देश भर में स्वच्छता के स्तर को ऊपर उठाने में मदद करेगा.

हालांकि, इस शानदार सफलता के बीच एक महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान देना आवश्यक है और वह है वाहन प्रदूषण से मुक्ति. इंदौर ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनिक स्वच्छता में उत्कृष्ट मानक स्थापित किए हैं, लेकिन यातायात वाहनों से निकलने वाला धुआं अभी भी एक चिंता का विषय है. वायु प्रदूषण न केवल नागरिकों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है बल्कि शहर की समग्र गुणवत्ता को भी कम करता है. इसलिए, इंदौर को अपनी अगली चुनौती के रूप में यातायात से होने वाले प्रदूषण को कम करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए. इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को मजबूत करना, साइकिलिंग के लिए बुनियादी ढांचा विकसित करना और नागरिकों को पर्यावरण-अनुकूल परिवहन विकल्पों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं. जिस तरह इंदौर ने स्वच्छता को एक आंदोलन बनाया है, उसी तरह वायु प्रदूषण से मुक्ति भी एक जन अभियान बन सकती है.

इंदौर ने हमें दिखाया है कि प्रतिबद्धता और सहयोग से क्या हासिल किया जा सकता है. अब समय आ गया है कि यह शहर स्वच्छता के साथ-साथ स्वच्छ हवा के क्षेत्र में भी एक नया प्रतिमान स्थापित करे. इंदौर की यात्रा प्रेरणादायक है, और यह देश के अन्य शहरों के लिए एक मार्गदर्शक बनी रहेगी. हालांकि इंदौर को अब समग्र रूप से आदर्श शहर बनना चाहिए. बहरहाल, इंदौर की इस सफलता के लिए सभी जिम्मेदारों को बधाई.

1986, 2000 और 2015 में किशोर न्याय कानून के अधिनियमन में देखा है प्रतिमान परिवर्तन

किशोर न्याय प्रणाली को आकार देने में न्यायपालिका की भूमिका

ओजस्कर पाण्डेय

भारत में न्यायिक मिसालें, कानून और न्याय प्रणाली को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाती हैं. प्रत्येक मामला कानून में मौजूद खामियों को उजागर करता है और अदालतें इसके खिलाफ उपाय प्रदान करती हैं. नीचे दिए गए मामलों ने ऐसे बच्चों की बेहतरी और कल्याण के लिए मौजूदा खामियों को सामने लाकर किशोर न्याय प्रणाली को आकार देने में मदद की है. सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आने वाली किसी भी समस्या या दिशानिर्देश को लेकर समय-समय पर विभिन्न दिशा-निर्देश और नियम दिए गए हैं. किशोर न्याय कानूनों का इतिहास विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और दिशा-निर्देशों में निहित है. यह अक्सर इस अवधारणा पर आधारित होता है कि यदि राज्य द्वारा उचित देखभाल, संरक्षण और सुधारात्मक उपाय किए जाएं तो 18 वर्ष से कम आयु के अपराधी बच्चे के सुधार और मुख्यधारा के समाज में पुन: एकीकरण की बेहतर संभावना होती है. हमारे देश ने 1986, 2000 और 2015 में किशोर न्याय कानून के अधिनियमन के साथ आपराधिक न्याय प्रणाली में प्रतिमान परिवर्तन देखा है, जिसने किशोर अपराधियों को वयस्कों से अलग किया. प्रभाती बनाम सम्राट में यह देखा गया कि छोटे बच्चों को यथासंभव कारावास से छूट दी जानी चाहिए और इसके बजाय उन्हें उनके माता-पिता या अभिभावकों की देखरेख और निगरानी में रिहा किया जाना चाहिए. किशोरों को जेल न भेजने के इस दृष्टिकोण को हमारी स्वतंत्रता से पहले भी विभिन्न न्यायालयों के निर्णयों द्वारा अनुमोदित किया गया था.

हरनाम बनाम यूपी राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने 35वें और 42वें विधि आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि जब हत्यारा 18 वर्ष से कम आयु का होता है, तो दंडात्मक न्याय की क्षमा उसे मदद करती है और ऐसे व्यक्ति को मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिए. 1986 में किशोर न्याय पर एक केंद्रीय अधिनियम पारित होने से पहले, भारत में प्रत्येक राज्य सरकार के पास बच्चों के अधिनियम का अपना रूप था, जिसके कारण किशोर न्याय के संबंध में कई मामलों की सुनवाई हुई. ऐसा ही एक मामला दिलीप साहा बनाम पश्चिम बंगाल राज्य का है, जहां कलकत्ता हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने पश्चिम बंगाल बाल अधिनियम 1959 की धारा 28 के अर्थ में बच्चे की आयु के प्रश्न का निर्धारण करते हुए यह माना कि धारा की व्याख्या इस अर्थ में करना कि यह किसी बच्चे और वयस्क के संयुक्त ट्रायल को केवल तभी प्रतिबंधित करती है जब बच्चा ट्रायल के समय बच्चा हो.

यह व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 20(1) के प्रावधानों के विरुद्ध होगी, जो यह निर्धारित करता है कि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा, सिवाय उस अपराध के लिए जो अपराध के रूप में आरोपित कार्य के समय लागू कानून के उल्लंघन के लिए हो, न ही उस पर उस दंड से अधिक दंड लगाया जा सकता है जो अपराध के समय लागू कानून के तहत लगाया जा सकता था. इसी तरह, रोथस बनाम हरियाणा राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अभियुक्त पर हरियाणा बाल अधिनियम, 1974 के तहत ट्रायल चलाया जाना चाहिए, न कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत, क्योंकि हरियाणा अधिनियम अभी भी वैध था और संहिता की धारा 5 द्वारा संरक्षित था.

इसी तरह, शिव शंकर सिंह बनाम बिहार राज्य में, न्यायालय ने एक किशोर के खिलाफ सजा के आदेश को रद्द कर दिया और बिहार बाल तृतीय अध्यादेश, 1979 के अनुसार मामले को बच्चों की अदालत में भेज दिया. अंतत:, शीला बार्से एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय में, विभिन्न राज्यों में बाल अधिनियम के खराब कार्यान्वयन पर अपनी चिंता को इंगित करते हुए, सुझाव दिया कि भारत में किशोर कानूनों में एकरूपता लाने के लिए संसद द्वारा एक केंद्रीय कानून बनाया जा सकता है, जिससे किशोर न्याय अधिनियम 1986 पारित करने के लिए मंच तैयार हो सके.

> न्यायालय ने यह भी कहा कि ऐसे अधिनियम में किशोर अपराधियों के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक पुनर्वास का भी प्रावधान होना चाहिए. किशोरों की आयु के लिए न्यायिक ढांचा हालांकि भारत में किशोर की आयु निर्दिष्ट करने वाला एक विधायी साधन था, लेकिन न्यायालयों ने कानून के साथ संघर्ष करने वाले किशोरों की आयु से जुड़े विभिन्न सहायक मुद्दों को संबोधित करने में बहुत अधिक प्रयास किए हैं. सलिल बाली बनाम भारत संघ में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किशोर की सजा के दौरान 18 वर्ष की आयु हो जाना उसे सजा पूरी करने से छूट नहीं देता है. साथ ही, 18 वर्ष की आयु वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर तय की गई है कि इस आयु तक व्यक्ति को आसानी से सुधारा जा सकता है.

मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशा-निर्देश

अजय टम्टा
केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री

> मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2025 भारत में डिजिटल मोबिलिटी क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है. एग्रीगेटर्स के लिए स्पष्ट मानक और जिम्मेदारियाँ निर्धारित करके, ये दिशानिर्देश ड्राइवरों के लिए उचित आय और सामाजिक सुरक्षा, यात्रियों के लिए बेहतर सुरक्षा और सुविधा तथा पर्यावरण की दृष्टि से सतत प्रथाओं पर जोर देते हैं. यह संतुलित और समावेशी फ्रेमवर्क न केवल भारत की बढ़ती गिग अर्थव्यवस्था की नींव को मजबूत करता है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण के भी अनुरूप है.

पिछले कुछ सालों में लाखों ड्राइवर ऐप-आधारित टैक्सी सेवाओं से जुड़े हैं. क्योंकि इसमें उन्हें काम करने की आजादी, अनुकलता और तकनीकी सुविधा मिलती है. हालाँकि बढ़ते कमीशन, अस्पष्ट नीतियों, मनमाने निलंबन और सुरक्षा के अभाव ने इस वादे को कई लोगों के लिए निराशा में बदल दिया. भारत भर में तीन मिलियन से अधिक गिग ड्राइवरों द्वारा अनुभव की गई इन चुनौतियों ने व्यापक और लागू करने योग्य विनियमन की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया.

इसके जवाब में, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और श्री नितिन गडकरी के मार्गदर्शन में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने पहले ही मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2020 जारी किये थे. इन दिशानिर्देशों ने राज्य सरकारों को एग्रीगेटर्स को लाइसेंस देने और उनकी निगरानी करने का अधिकार देते हुए एक नियामक ढाँचा प्रदान किया, जिससे वाहन-परिचालन उद्योग के विकास को बढ़ावा मिला. ड्राइवरों और यात्रियों दोनों के लिए सुरक्षा, निष्पक्षता और जवाबदेही से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अब मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2025 पेश किया है. यह भारत के डिजिटल मोबिलिटी इकोसिस्टम में संरचना, सुरक्षा और समावेशिता लाने के लिए एक प्रमुख नीतिगत अपडेट है.

मोटर वाहन अधिनियम 1988 के कानूनी आधार पर निर्मित इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य ओला, उबर, रैपिडो जैसे ऐप-आधारित कैब एग्रीगेटर्स के संचालन को विनियमित करना है. इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि दिशानिर्देश संवैधानिक कार्यादेशों और न्यायिक निर्देशों के अनुरूप ड्राइवरों और यात्रियों दोनों को संतुलित लाभ प्रदान करने का प्रयास करते हैं. 2025 के दिशानिर्देशों का सबसे उल्लेखनीय पहलू है- ड्राइवरों के हितों की सुरक्षा. अब तक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म से जुड़े ड्राइवर, अक्सर खुद को कम कमाई, मनमाने ढंग से कार्य से हटाना (ऑफ-बोर्डिंग), बीमा का न होना और अपर्याप्त कानूनी उपायों के साथ अनिश्चित परिस्थितियों के बीच काम करते थे. नए नियम दिशानिर्देश इन प्रणालीगत कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं.

दिशानिर्देशों में एग्रीगेटर्स को राज्यों द्वारा अधिसूचित मूल किराए के आधार पर प्रति घंटे या न्यूनतम गारंटीकृत आय सुनिश्चित करने की आवश्यकता है. इसमें यह भी अनिवार्य किया गया है कि एग्रीगेटर और ड्राइवर के बीच किराया निपटान, आपसी सहमति से दैनिक, साप्ताहिक या पाक्षिक आधार पर किया जाना चाहिए. इस कदम से हजारों ड्राइवरों को खासकर आय-प्राप्ति वाले समय में, आय में होने वाले उतार-चढ़ाव से निजात मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा, सरकार ने अब प्रत्येक एग्रीगेटर को कम से कम 5 लाख रूपये का स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख रूपये का सावधि बीमा प्रदान करना अनिवार्य कर दिया है. उम्मीद है कि ये सुरक्षा उपाय गिग श्रमिकों को औपचारिक श्रम संरचनाओं के दायरे में लायेंगे. इसके अलावा, नए दिशानिर्देश कमीशन में पारदर्शिता लाते हैं तथा एग्रीगेटर के हिस्से को अधिकांश मामलों में प्रत्येक किराए के 20त्न तक सीमित करते हैं. इससे यह सुनिश्चित होता है, कि ड्राइवर अपनी आय का एक उचित हिस्सा रख सकेंगे. एग्रीगेटर्स को भुगतान कटौती, किराया विभाजन और जुर्माने के बारे में स्पष्ट और विस्तृत जानकारी भी प्रदान करनी होगी.

दिशानिर्देशों में कहा गया है कि प्रत्येक एग्रीगेटर एक औपचारिक शिकायत निवारण प्रणाली की स्थापना करेगा, जहाँ यात्रा रद्दीकरण, भुगतान विवाद या निलंबन जैसे मुद्दों का समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से समाधान हो सके. ड्राइवरों को समय- समय पर प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जिसमें ऐप उपयोग, आपातकालीन प्रतिक्रिया, सड़क सुरक्षा, यातायात नियम, लैंगिक संवेदनशीलता, दिव्यांगजन जागरूकता, ग्राहक से बातचीत, डिजिटल साक्षरता आदि विषयों पर आधारित 40 घंटे का प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल होगा, ताकि वे भविष्य के यातायात से जुड़ी चुनौतियों के लिए बेहतर ढंग से तैयार हो सकें. यात्रियों के लिए भी ये दिशानिर्देश समान रूप से परिवर्तनकारी हैं. यात्रा सुरक्षा, डेटा गोपनीयता और किराए में हेरफेर से जुड़ी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए नए दिशानिर्देश सुरक्षा उपाय लेकर आए हैं, जिनकी बहुत आवश्यकता थी.

मानसून सत्र में गूंजेगा पहलगाम हमला

संसद के 21 जुलाई से 12 अगस्त तक होने वाले मानसून सत्र के लिए कांग्रेस ने अपनी रणनीति तय की है जिसमें प्रमुख रूप से पहलगाम आतंकी हमले, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का भारत-पाक के बीच संघर्ष विराम करवाने का बार-बार दावा किया जाना, चीन-पाक मिलीभगत तथा बिहार में मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण जैसे मुद्दों का समावेश होगा. इसके लिए कांग्रेस अन्य विपक्षी दलों के साथ संसद के भीतर व बाहर समन्वय साधने का प्रयास कर रही है. मोदी सरकार का साथ दे रही टीडीपी और जदयू जैसी पार्टियों का भी सहयोग लेने की कोशिश हो सकती है.

इसके लिए बेरोजगारी व राज्यों में निवेश के मामले में गैरबराबरी, आपदा में घिरे राज्यों की मदद न करना तथा उद्योग-कारोबार में विशेष समूहों के एकाधिकार जैसे विषय उठाए जा सकते हैं. पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा करने के लिए विशेष संसदीय सत्र बुलाने की विपक्ष की मांग सरकार ने नहीं मानी थी. उस हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह संसद का पहला सत्र होगा. सरकार ने स्पष्ट किया था कि भारत और पाक के डीजीएमओ स्तर के अधिकारियों की बातचीत के बाद संघर्ष विराम लागू किया गया. इसमें किसी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप नहीं था. इतने पर भी कांग्रेस इस मुद्दे को उठाएगी. कांग्रेस यह मुद्दा भी रखेगी कि पहलगाम हमले के आतंकी क्यों नहीं पकड़े गए? कांग्रेस का प्रयास रहेगा कि विपक्ष की आवाज एक बनी रहे लेकिन ऐसा हो पाना कठिन लगता है. जब इंडिया गुट के वरिष्ठ नेताओं ने विशेष सत्र की मांग करते हुए सरकार को पत्र लिखा था तो उस पर आम आदमी पार्टी और राकां (शरद पवार) ने हस्ताक्षर नहीं किए थे. मानसून सत्र में कांग्रेस दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग का मुद्दा भी उठाएगी. वर्मा के निवास में लगी आग के बाद वहां बड़ी मात्रा में जले हुए करेंसी नोट मिले थे. देखना होगा कि सत्र में विपक्ष कितना एकजुट व प्रभावशाली रहेगा. पिछले सत्र में विपक्ष के शोरगुल व हंगामे के बीच सरकार ने अपने बिल पास करवा लिए थे.

निशानेबाज

कर्मचारियों की भूख से नहीं वास्ता ट्रंप बंद करेंगे उनका नाश्ता

पड़ोसी ने हमसे कहा, निशानेबाज, अब अमेरिका में सरकारी कर्मचारियों को ऑफिस में नाश्ता, कॉफी, लंच कुछ नहीं मिलेगा. सरकारी खर्च में कटौती कर अमेरिका को महान बनाने का सपना देखने वाले प्रेसीडेंट ट्रंप ने यह प्रथा बंद करने की ठान ली है.

हमने कहा, तब तो कर्मचारी भी ढंग से काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि कहावत है- भूखे भजन न होई गोपाला! जब पेट में कैलोरीज नहीं जाएंगी, न्यूट्रीशन नहीं मिलेगा तो कर्मचारी में काम करने की ऊर्जा ही नहीं रहेगी. पड़ोसी ने कहा, निशानेबाज, इसका इलाज है. हमारे देश में स्कूली बच्चों से लेकर ऑफिस जाने वाले कर्मचारियों तक सभी अपने घर से टिफिन लेकर आते हैं. अमेरिकी वर्कर्स भी ऐसा कर सकते हैं.

हमने कहा, घर में रोज घंटों खाना बनाने का रिवाज भारत में है. अमेरिका में लोग इतना समय बर्बाद नहीं करते. वो केक, पेस्ट्री, टोस्ट, बरीटो, पीजा, कुकीज, चीटोज, फ्रीटोज, एपल पाई, फुट लांग बन वगैरह खाते रहते हैं. वे

कार से जाते-जाते किसी रेस्टोरेंट से टेक अवे का पार्सल ले लेते हैं. बचा हुआ खाना फ्रिज से निकालकर माइक्रोवेव में गर्म कर लेते हैं. दाल, चावल, रोटी, सब्जी बनाने का रिवाज सिर्फ भारतीयों में है. पड़ोसी ने कहा, निशानेबाज, ट्रंप प्रशासन के फैसले से गूगल, मेटा, एपल, लिंक्ड इन, जेपी मार्गन, गोल्डमैन साक्स जैसी कंपनियां प्रभावित होगी जो अपने कर्मचारियों को नाश्ता, भोजन की सुविधा देती हैं. उन्हें मिलने वाली टैक्स रियायत बंद कर दी जाएगी.

हमने कहा, अमेरिका वर्कर क्या च्युइंग गम चबाते रहेंगे? वह ट्रंप से कह सकते हैं- पीठ पर मारो, पेट पर मत मारो! ट्रंप को प्रधानमंत्री मोदी से अन्नदान की सीख लेनी चाहिए. मोदी सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मुहैया कराती है. हमारे मंदिरों में भंडारा लगता है. गुरूद्वारा में लंगर खुला रहता है जबकि ट्रंप नाश्ता देने में भी कंजूसी कर रहे हैं. पड़ोसी ने कहा, निशानेबाज, हो सकता है कि वह अपने कर्मचारियों की ओवर ईटिंग से परेशान हों. इनको डायटिंग कराई जाएगी तो मोटापा कम होगा और वह ज्यादा चुस्ती से काम करने लगेंगे. हमारे यहां भी कॉरपोरेट कल्चर है. बड़ी कंपनियों में अल्प दर पर नाश्ता, चाय, कॉफी और लंच उपलब्ध रहता है. ट्रंप को कोई बताए कि अन्न पूर्ण ब्रम्ह है. अन्नदान सबसे बड़ा दान है. भूखे को खाना खिलाना पुण्य का काम है. यदि ट्रंप के आदेश से रुकावट आती है तो अमेरिका के कर्मी भी भारत के सरकारी कर्मचारियों के समान लोगों से काम करने के बदले चाय-पानी के पैसे मांगना शुरू कर दें!

संपादकीय बोर्ड | प्रबंध संपादक : सुमीत माहेश्वरी, समूह संपादक : क्रांति चतुर्वेदी

शब्द-सागर : डॉ. सागर खादीवाला

CROSS WORD 11966 -डॉ. सागर खादीवाला

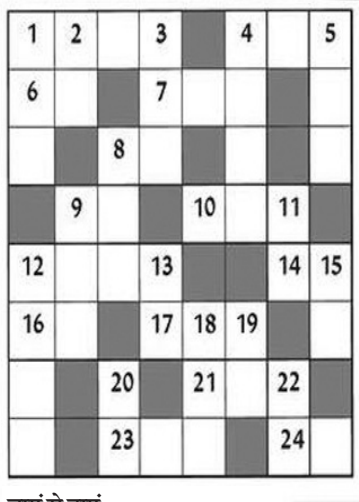

3.ऊंट-भालू आदि की नाक में आर-पार पहनाई जाने वाली रस्सी 4. संकरापन, तुच्छता 5. टीका, राज्याभिषेक 8. एक वृक्ष जिसकी लकड़ी इमारत तथा सजावटी सामान बनाने के काम आती है 9. छल, धोखा, ठगना 11. नया, नवीन, नूतन 12. स्वभाव, व्यवहार 13. नाक में पहनने का आभूषण 15. खरीद 18. सुंदर स्त्री 19. दमयंती का पति 20. रोष, व्याकुलता 22. आर्थिक लाभ, प्राप्ति

बाएं से दाएं
1. बौद्धों के महायान पंथ के प्रवर्तक 4. इस समय 6. गाने लायक, जो गाया जा सके 7. केवड़ा (सं.) 8. नैतिक आचरण 9. कुल, खानदान 10. संतति, औलाद, बालबच्चे, वंश (सं.) 12. ओक में जल लेकर पीना 14. टेढ़ा 16. चैती की फसल का प्रसिद्ध पौधा, एक अन्न, चणक 17. थकावट 21. संयोग, मिलाप 23. पार्वती, दुर्गा 24. फागुन में गाया जाने वाला गीत, होली

ऊपर से नीचे
1. शेषनाग 2. गौ, बैल की मादा

Solution 11965

लो	ट	ना		ड	म	रू	
क	म	ला	क	र		ब	क
पा	क		हा		कु	रू	प
ल		ग	र	ज			ड़ा
	सा	ज		हा	ल	त	
चु	ह	ल	बा	जी		क	ला
ग		का	ज		का	ली	न
ली	व	र		श	रा	फ	त

ज्योतिषाचार्य प्रियंका नारायणशंकर व्यास, कोतवाली बाजार, जबलपुर (म.प्र.)

आज जिनका जन्मदिन है

वर्ष के प्रारंभ में मित्र से भेंटवार्ता होगी, आर्थिक सहयोग मिलेगा, शिक्षा के क्षेत्र में अचानक यात्रा होगी, वर्ष के मध्य में सामाजिक कार्यों में मन नहीं लगेगा, व्यापार व्यवसाय में व्यर्थ भागदौड़ एवं व्यय में वृद्धि होगी, मित्र के कारण तनाव रहेगा, वर्ष के अन्त में प्रतिष्ठा एवं यश में वृद्धि होगी, घरेलू कार्यों में व्यस्तता रहेगी, खर्च पर नियंत्रण रखें.

मेष और वृश्चिक राशि के व्यक्तियों को लाभ प्राप्त होने का योग है, वृष और तुला राशि के व्यक्तियों को मान सम्मान बढ़ेगा, शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, पारिवारिक जीवन सुखमय बना रहेगा, यात्रा का योग है,कर्क और सिंह राशि के व्यक्तियों की शत्रुओं के षडयंत्र से सतर्कता बांछनीय, मिथुन और कन्या राशि के व्यक्तियों को संयम से कार्य करना हितकर रहेगा, मकर और कुंभ राशि के व्यक्तियों का बचपन की मित्रता का लाभ प्राप्त होगा, धनु और मीन राशि के व्यक्तियों का साहस बना रहेगा.

आज जन्मे शिशु का भविष्य

आज जन्म लिया बालक बुद्धिमान, उदारहृदय का परोपकारी होगा. साहित्य एवं कला में विशेष योग्यता रहेगी. एक बार जो निर्णय कर लेगा, उसी पर अटल रहेगा. भाग्यवान एवं सहनशील रहेगा. हर कार्य को दिल से करेगा. माता पिता का भक्त होगा.

उदयकालीन ग्रह चाल

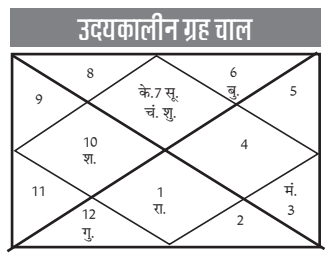

पंचांग

रा.मि. 27 संवत् 2082 श्रावण कृष्ण अष्टमीं भृगुवासरे दिन 3/26, अश्विनी नक्षत्रे रात 1/32, सुकर्मा योगे प्रात: 7/3 तदुपरि धृति योगे रातअंत 4/3, विष्टि करणे सू.उ. 5/18 सू.अ. 6/42, चन्द्रचार मेष, शु.रा. 1,3,4,7,8,11 अ.रा. 2,5,6,9,10,12 शुभांक- 3,5,9.

व्यापार भविष्य

श्रावण कृष्ण अष्टमीं को अश्विनी नक्षत्र के प्रभाव से सोना, चांदी, ऊनी वस्त्र, हैसियन, खांड में तेजी होगी. आज 12 बजकर 2 मिनिट के रूख पर व्यापार करना लाभकारी रहेगा. भाग्यांक 5484 है.

मेष- दुविधा की स्थिति में रावणे बढ़ने में मुश्किल हो सकती है, कार्य विस्तार की रूपरेखा बनेगी, आध्यात्मिक एवं रचनात्मक कार्यों में रूचि रहेगी.

वृषभ- अपने रिश्तों को थोड़ा वक्त दें, राह की उलझन दूर होगी, रक्त विकार उदर विकार से बचें, खानपान पर संयम रखें, बाहरी व्यक्ति पर भरोसा न करें.

मिथुन- मानसिक तनाव के चलते अशांति बनी रहेगी, व्यापारिक सौदे लाभदायी हो सकते हैं. परिश्रम की अधिकता रहेगी, आमोद-प्रमोद के साधनों में वृद्धि होगी.

कर्क- न चाहते हुये भी समझौता करना पड़ सकता है, कानूनी मामलों में दूसरों की सलाह से रावणे बढें. न्यायालयीन प्रयासों में सफलता मिलेगी, अतिथि आगमन का योग है.

सिंह- दूसरों की सलाह से रावणे बढ़ें, सफलता मिलेगी, शिक्षा संतान के कार्यों में सफलता मिलेगी, शत्रु वर्ग पर विजय प्राप्त होगी. भय एवं तनाव दूर होगा.

कन्या- परिणय की चर्चाओं में सफलता मिल सकती है, बिगड़े कार्य को पूरा करने में परेशानी होगी, जोखिम के कार्यों में विशेष सावधानी रखें, अत्यन्त व्यस्तता रहेगी.

तुला- नजदीकी लोगों के कारण मन परेशान रहेगा. श्रम एवं प्रयास से महत्वपूर्ण काम बनेगा, आमोद-प्रमोद के साधनों में वृद्धि होगी.

वृश्चिक- पारिवारिक आयोजन सुखद रहेगा, भाग्य से अच्छे अवसर आ सकते हैं, नवीन योजनाओं की रूपरेखा बनेगी, वास्ते सावधानी रखें. स्वास्थ्य नरम गरम रहेगा.

धनु- परिचितों के कारण कासीताने में मुश्किल आयेगी, दुविधा की स्थिति से बाहर निकलें लाभ होगा. शारीरिक सुख एवं मानसिक प्रसन्नता रहेगी.

मकर- अपनी की गई गलती का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, मान-सम्मान बढ़ेगा. सोचे कार्य बनने का योग है, आय से अधिक धन व्यय होगा.

कुम्भ- कैरिअर में उतार-चढ़ाव बना रहने से चिन्ता बढ़ेगी, जमकर जायजाद के कार्यों में लाभ होगा, धार्मिक यात्रा होगी, रूके कार्य बनने का योग है, प्रसन्नता रहेगी.

मीन- बिखरे कार्यों को समेटने में परिवार की अच्छी मदद मिलेगी, किसी की जवाबदारी न लें, नौकरी पदोन्नति एवं स्थानांतरण की समस्या का समाधान होगा.

SUDOKU 7098

					1	4		
	9					5	8	
			7	9				
			2				6	7
4								3
5	8				9			
				8	5			
	7	6					1	
		9	3					

■ प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक है. इनका क्रमवार होना आवश्यक नहीं है. आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 333 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें. ■ पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते. ■ पहेली का केवल एक ही हल है.

नवभारत सू-दोकू 7097

7	8	9	2	3	1	6	5	4
3	2	4	6	5	9	7	8	1
6	5	1	8	4	7	2	9	3
5	1	7	3	9	8	4	6	2
4	6	8	5	1	2	9	3	7
9	3	2	4	7	6	8	1	5
1	4	6	9	2	3	5	7	8
2	9	3	7	8	5	1	4	6
8	7	5	1	6	4	3	2	9